

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा
1/345 /13

तारीख रजु
05.12.2013

तारीख निर्णय
15.06.2018

उनवान

1. नसरु पुत्र हुरमत
2. रूस्तम पुत्र हुरमत
3. ईशाक पुत्र हुरमत
4. आसब पुत्र हुरमत
5. नसरी पुत्री हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम बेराबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम


1. राजस्थान सरकार जर्गे जिलाधीश महोदय अलवर।
2. भूमि अधिकारी तहसीलदार रामगढ़।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 19 मिन रकबा 16 बिस्वा, 19 मिन रकबा 14 बिस्वा, 19 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 15 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 221 मिन रकबा 15 बिस्वा, 221 मिन रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 24 रकबा 16 बिस्वा, 27 रकबा 14 बिस्वा, 29 रकबा 10, 50 रकबा 15 बिस्वा, 55 रकबा 10 बिस्वा, 213 रकबा 15 बिस्वा, 218 रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.20, 53 रकबा 0.18, 55 रकबा 0.13, 94 रकबा 0.10, 100 रकबा 0.12, 353 रकबा 0.19, 359 रकबा 0.20 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 1.21 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। उक्त वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में कस्टोडियन तथा शेष 1/2 हिस्सा मिन वादीगण की कब्जे काशत गैरखातेदारी की आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात की 1/2 हिस्सा आराजी कस्टोडियन भूमि की खातेदारी जर्गे इन्तकाल सं0 283 दिनांक 18.02.2011के तहसीलदार रामगढ़ द्वारा मिन वादीगण के नाम की जा चुकी है। शेष 1/2 हिस्सा आराजी ताहाल राजस्व रिकार्ड में मिन वादीगण के नाम गैरखातेदारी



उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज॥

(2)

में दर्ज वो अंकन चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर मिन वादीगण काफी लम्बे समय अर्से से काबिज दाखिल रहकर काशत करता चला आ रहा है। जिससे वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी मिन वादीगण घोषणा कराने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर मिन वादीगण का कब्जा राजस्थान काशतकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से चला आ रहा है। जिसके समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2010 ला0 2013, 2014 ला0 2017, खसरा गिरदावरी, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, हाल जमाबन्दी सम्वत 2067 ला0 2070 संलग्न है। उक्त आरजी में मिन वादीगण व उसके बुजुर्गों का नाम दर्ज है। इस सम्बन्ध में मिन वादीगण दिनांक 15.10.2013 को तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब द्वारा वादग्रस्त आराजी शेष रकबा 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी करने के लिए कहाँ जिस बाबत वाद प्रस्तुत किया गया।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक व दुरुस्ती इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 19 मिन रकबा 16 बिस्वा, 19 मिन रकबा 14 बिस्वा, 19 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 15 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 221 मिन रकबा 15 बिस्वा, 221 मिन रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 24 रकबा 16 बिस्वा, 27 रकबा 14 बिस्वा, 29 रकबा 10, 50 रकबा 15 बिस्वा, 55 रकबा 10 बिस्वा, 213 रकबा 15 बिस्वा, 218 रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.20, 53 रकबा 0.18, 55 रकबा 0.13, 94 रकबा 0.10, 100 रकबा 0.12, 353 रकबा 0.19, 359 रकबा 0.20 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 1. 21 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ जिला अलवर का शेष 1/2 हिस्सा रकबा का वादीगण को समान भाग 1/10-1/10 प्रत्येक को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर मिन वादीगण को खातेदार दरामद किये जाने का अहकाम जारी किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्घे सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) ने उपस्थित होकर इस प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया कि


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0


(3)

विवादित आराजी 1/2 हिस्सा जो कस्टोडियन भूमि थी, पर पूर्व में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। शेष भूमि जो कस्टोडियन नहीं है, पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित है।

वादी ने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2067-70, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 व 2058, जमाबन्दी सम्वत 2014, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020, खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 की प्रमाणति प्रति पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत नंगला बंजीरका में दिनांक 15.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2010 ला0 2013, 2014 ला0 2017, खसरा गिरदावरी, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, हाल जमाबन्दी सम्वत 2067 ला0 2070 के अवलोकन से उक्त आराजी में वादीगण व उसके बुजुर्गों का नाम दर्ज है। पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक विवादित आराजी 1/2 हिस्सा जो कस्टोडियन भूमि थी, पर पूर्व में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। शेष भूमि जो कस्टोडियन नहीं है, पर खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित है। उक्त आराजीयात पर वादीगण काफी लम्बे समय अर्से से काबिज दाखिल रहकर काशत करता चला आ रहा है। जिससे वादीगण को उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिससे वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।


वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 19 मिन रकबा 16 बिस्वा, 19 मिन रकबा 14 बिस्वा, 19 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 15 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 221 मिन रकबा 15 बिस्वा, 221 मिन रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 24 रकबा 16 बिस्वा, 27 रकबा 14 बिस्वा, 29 रकबा 10, 50 रकबा 15 बिस्वा, 55 रकबा 10 बिस्वा, 213 रकबा 15 बिस्वा, 218 रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.20, 53 रकबा 0.18, 55 रकबा 0.13, 94 रकबा 0.10, 100 रकबा 0.12, 353 रकबा 0.19, 359 रकबा 0.20 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 1.21 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादीगण को समान भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

(3)

रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को 1/2 हिस्सा का समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट नंगला बंजीरका
पीठासीन अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा
1/345 /13

तारीख रजु
05.12.2013

तारीख निर्णय
15.06.2018

उनवान

1. नसरु पुत्र हुरमत
2. रुस्तम पुत्र हुरमत
3. ईशाक पुत्र हुरमत
4. आसब पुत्र हुरमत
5. नसरी पुत्री हुरमत जाति मेव निवासी ग्राम बेराबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें जिलाधीश महोदय अलवर।
2. भूमि अधिकारी तहसीलदार रामगढ़।


..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 19 मिन रकबा 16 बिस्वा, 19 मिन रकबा 14 बिस्वा, 19 मिन रकबा 10 बिस्वा, 31 मिन रकबा 15 बिस्वा, 31 मिन रकबा 10 बिस्वा, 221 मिन रकबा 15 बिस्वा, 221 मिन रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 24 रकबा 16 बिस्वा, 27 रकबा 14 बिस्वा, 29 रकबा 10, 50 रकबा 15 बिस्वा, 55 रकबा 10 बिस्वा, 213 रकबा 15 बिस्वा, 218 रकबा 16 बिस्वा जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.20, 53 रकबा 0.18, 55 रकबा 0.13, 94 रकबा 0.10, 100 रकबा 0.12, 353 रकबा 0.19, 359 रकबा 0.20 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 1.21 हैक्ट0 वाके ग्राम बेरेबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर के 1/2 हिस्सा का वादीगण को समान भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को 1/2 हिस्सा का समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0